न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
77/दावा/2018	12.10.2018	19.07.2019

ममता पत्नि दुर्गालाल जाति मीणा निवासी डगलावदा हाल बाजड तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

.....वादीनी

बनाम

1. शोजी आ0 जगन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम श्यामू थाना नमाना तहसील व जिला बून्दी (राज0)
2. सूरजमल आ0 सुखा जाति भील निवासी सूतडा थाना डाबी जिला बून्दी (राज0)
3. फूलचंद आ0 नाराण जाति प्रजापत निवासी सूतडा थाना, डाबी जिला बून्दी (राज0)
4. देवी लाल आ0 पन्ना लाल जाति कुम्हार निवासी सूतडा थाना डाबी जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री प्रकाश चन्द भण्डारी
अधिवक्ता प्रतिवादीः– श्री नन्द सिंह

– : : निर्णय : : –

वाद स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है कि:–

1. यह कि आराजी ख0सं0 1239/699 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा ग्राम सूतडा पटवार हल्का धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। इस आराजी की खातेदार वादीनी है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जो अधिकार खातेदार को कानूनी रूप से प्रदत्त है उनका उपयोग उपभोग करने का एकमात्र अधिकार वादीनी को है। वादीनी के इस अधिकार में किसी भी व्यक्ति को अवरोध उत्पन्न करने का अधिकार नही है।
2. यह कि प्रतिवादीगण ने एक समूह बना रखा है जिसका उद्वेश्य कमजोर आदमी पर दबाव डालकर कमजोर आदमी की जमीन हथियाने का रहा है। इसी उद्वेश्य की पूति हेतु प्रतिवादीगण व्यक्तिगत व संयुक्त रूप से वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित आराजी पर कब्जा करना चाहते है।
3. यह कि वादीनी ग्राम बाजड में निवास करती है। विवादित आराजी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी में है जो ग्राम बाजड से काफी दूर है। इसलिए वादीनी ने उक्त भूमि के संबंध में कानूनी रूप से प्रदत्त अधिकारो की सुरक्षा हेतु एक व्यक्ति राधेश्याम आ0 छीतर लाल जाति प्रजापत निवासी सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी को सन् 2012 से अपनो मुख्तार नियुक्त किया हुआ है। मुख्तार उक्त वर्णित आराजी के संबंध में वादीनी के अधिकारो की सुरक्षा हेतु नियुक्त किया हुआ है। मुख्तार उक्त वर्णित भूमि की देख–रेख व व्यवस्था करते है तथा वादीनी के अधिकारो की सुरक्षा करते है। वादीनी द्वारा अधिकृत रूप से वादीनी की और से मुख्तार उक्त वर्णित आराजी पर मुख्तार की हेसियत से काबिज है।
4. यह कि प्रतिवादीगण द्वारा व्यक्तिगत व संयुक्त रूप से अप्रेल सन् 2018 में वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित आराजी पर जबरन कब्जा करने व वादीनी के अधिकारों में दखलअन्दाजी करने का प्रयत्न किया जिसके बाबत वादीनी की और से नियुक्त मुख्तार राधेश्याम ने वादीनी की अनुमति से कार्यवाही की लेकिन पुलिस द्वारा कोई प्रभावशाली कार्यवाही नही की।
5. यह कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रभावशाली कार्यवाही न होने से प्रतिवादीगण के हौसले बुलन्द है और प्रतिवादीगण वाद पत्र के चरण सं0 1 में वर्णित आराजी के संबंध में वादीनी के अधिकारों में हस्तक्षेप करने को प्रयत्नशील है। अगस्त सन् 2018 के अंतिम सप्ताह में भी प्रतिवादीगण ने व्यक्तिगत व संयुक्त रूप से वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की। वादी द्वारा नियुक्त मुख्तार राधेश्याम द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि पर कब्जा नही करने दिया लेकिन प्रतिवादीगण ने मौखिक रूप से धमकी दी कि भूमि पर कब्जा करके रहेगें।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

6. यह कि प्रतिवादीगण का कृत्यु विधि विरूद्ध है। प्रतिवादीगण के कृत्य से वादीनी के अधिकारों पर पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। वादीनी को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। वादीनी को स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने के लिए वाद कारण अगस्त सन् 2018 के अंतिम सप्ताह से दिन प्रतिदिन पैदा हो रहा है। इसलिए दावा अवधि मध्य है।
7. यह कि वाद कारण ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी में उत्पन्न हुआ है व विवादित आराजी भी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। इसलिए आदरणीय न्यायालय को यह दावा सुनने का अधिकार प्राप्त है।
8. यह कि प्रतिवादीगण ताकत के बल पर भूमि पर जबरन कब्जा करके वादीनी को बेदखल करने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसी परिस्थिति में वादीनी को इस आशय की आदेशात्मक आज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकार है कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरणसं0 1 में वर्णित भूमि पर कब्जा कर ले तो प्रतिवादीगण को वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित भूमि पर से बेदखल किया जाकर वादीनी को कब्जा दिलाया जावे।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीनी के हक में प्रतिवादीगण की जात व जायदाद के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय हर्जे खर्चे प्रदान फरमाई जावे–

1. यह कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित आराजी ख0सं0 1239/699 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा ग्राम सूतडा स्थित भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जो अधिकार खातेदार में निहित है उन अधिकारों में किसी भी रूप से दखलअंदाजी नही करे न कोई ऐसा कृत्य करे जिसके प्रभाव से वादीनी के खातेदारी अधिकार के उपयोग–उपभोग में उवरोध उत्पन्न हो ऐसा न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।
2. यह कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण कब्जा कर लेवे तो प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीनी को दिलाया जावे।
3. यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जिसे वादीनी पाने की अधिकारी हो वह भी प्रदान फरमाई जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से जवाद दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण सं0 1 व 2 में वर्णित इबारत अस्वीकार है। च0सं03 में वर्णित ईबारत जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। च0सं0 4 लगा0 5 में वर्णित ईबारत अस्वीकार है। च0सं 6 में वर्णित ईबारत मदगढन्त तथ्यों पर आधारित होने के कारण अस्वीकार है। च0सं0 7 लगा0 9 अस्वीकार है। प्रार्थना वादी वादी पत्र स्वीकार नही अस्वीकार है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रतिवादी सं0 1 का प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाकर वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाने की कृपा करे।

साक्ष्य में वादी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 175 ग्राम सूतडा संवत् 2072–75, मुख्यतारनामा दिनांक 9.01.2012 की प्रतियाँ पेश की।

बहस एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वाद पत्र की प्रार्थना में चाही गई रिलीफ वादी को प्रदान किये जाने का निवेदन किया। हमने वादीनी वकील की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। वादी के द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी प्रमाणित किया है। वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी रिकार्डेड खातेदार है। चूंकि वादी रिकार्डेड खातेदार है। अतः वादी वादी स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी खाता सं0 175 ग्राम सूतडा संवत् 2072–75 में प्रतिवादीगण को इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता कि वह वादी के खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार का कब्जा व मदाखलत न तो स्वयं करे न अन्य किसी प्रतिनिधि से करावे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।
इजलास मोहम्मद ताहीर , आर0ए0एस0

ममता पत्नि दुर्गालाल जाति मीणा निवासी डगलावदा हाल बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
.....वादीनी

बनाम

1. शोजी आ0 जगन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम श्यामू थाना नमाना तहसील व जिला बून्दी (राज0)
2. सूरजमल आ0 सुखा जाति भील निवासी सूतडा थाना डाबी जिला बून्दी (राज0)
3. फूलचंद आ0 नाराण जाति प्रजापत निवासी सूतडा थाना, डाबी जिला बून्दी (राज0)
4. देबी लाल आ0 पन्ना लाल जाति कुम्हार निवासी सूतडा थाना डाबी जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

वाद स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा

77/दावा/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री प्रकाश चन्द भण्डारी एडवोकेट मिनजानिब मुदई श्री नन्द सिंह मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी कि जाती है कि वादी वादी स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी खाता सं0 175 ग्राम सूतडा संवत् 2072–75 में प्रतिवादीगण को इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता कि वह वादी के खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार का कब्जा व मदाखलत न तो स्वयं करे न अन्य किसी प्रतिनिधि से करावे।

नीज..... मुबलिक..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान					

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 19 माह 07 वर्ष 2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी